


23.07.2024:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे निवेदन किया कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहाता। इसलिए इसलिये प्रार्थना पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज (विद्धा) फरमाया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर उत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी कमरदीन उर्फ शमशेर सिंह के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा की गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मौजूदा सूरत मे विद्धा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
कुमायूँ

